राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 23 / 2022

दायर दिनांक 07.04.2022

अनवान

1. दिलीप कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति जैन उम्र वयस्क पेशा व्यापार निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नारायणलाल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्वेता राव पत्नि मयंक कुमार राव जाति राव उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........वादीगण

बनाम

01. लक्ष्मीकंवर पत्नि देवराज सिंह जाति राव उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कुसुमलता पत्नि जगदीशचन्द्र जाति स्वर्णकार उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. श्री रामफूल धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता वादी सं. 1 व 2 की ओर से
02. श्री सुनील जोशी – विद्वान अधिवक्ता वादी सं. 3 की ओर से
03. श्री अनिल धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दिनांक :– 12 / 05 / 2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 20.11.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि **ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा** स्थित अंकित आराजी नम्बर 169/10 रकबा 2–01 बीघा, आराजी नम्बर 170/11 रकबा 2–17 बीघा कुल किता 2 रकबा 4–18 बीघा भूमि स्थित है जिसमें वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 3/16 हिस्सा एवं वादीया संख्या 3 का 11/48 हिस्से को **राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये।**

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलियां से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने क्रमांक/राजस्व/2025/2074 दिनांक 29.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार **बाईं मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार** पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेख में पृथक-पृथक अभिलेखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	रचना पत्नी मयंक कुमार राव जाति राव सा. बिजौलियां	केशुविलास	169/10/2 170/11/2	0.09 0.13
	योग		**खसरा 02**	**1.2**
02	1. लक्ष्मीकंवर पत्नी देवराज सिंह 8/37 राव सा. बिजौलियां 2. कुसुमलता पत्नी जगदीशचन्द्र 1/2 स्वर्णकार बिजौलियां 3. पूजा पत्नी चन्द्रशेखर 21/74 स्वर्णकार सा. बिजौलियां खुर्द	केशुविलास	169/10/1 170/11/1	1.12 2.04
	योग		**खसरा 02**	**3.16**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मुर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 12/05/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 23 / 2022

दायर दिनांक 07.04.2022

अनवान

1. दिलीप कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति जैन उम्र वयस्क पेशा व्यापार निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नारायणलाल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्वेता राव पत्नि मयंक कुमार राव जाति राव उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... डिक्रीदार

बनाम

01. लक्ष्मीकंवर पत्नि देवराज सिंह जाति राव उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कुसुमलता पत्नि जगदीशचन्द्र जाति स्वर्णकार उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–188 रा0टी0एक्ट

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक : 12 / 05 / 2026

डिक्री दिनांक : 12 / 05 /2026

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री रामफूल धाकड़, विद्वान अधिवक्ता वादी सं. 3 की ओर से श्री सुनील जोशी व विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :– निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम **ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा** के राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	श्वेता पत्नी मयंक कुमार राव जाति राव सा. बिजौलियां	केशुविलास	169/10/2 170/11/2	0.09 0.13
	योग		खसरा 02	1.2
02	1. लक्ष्मीकंवर पत्नी देवराज सिंह 8/37 राव सा. बिजौलियां 2. कुसुमलता पत्नी जगदीशचन्द्र 1/2 स्वर्णकार बिजौलियां 3. पूजा पत्नी चन्द्रशेखर 21/74 स्वर्णकार सा. बिजौलियां खुर्द	केशुविलास	169/10/1 170/11/1	1.12 2.04
	योग		खसरा 02	3.16

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 05 वर्ष 2026 को जारी किया गया।

नोट :– प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 12/05/2026 को मुर्तिब की गई।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	–		स्टाम्प अरजी दया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
मेहनताना वकील ( )	–		मेहनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां